

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) सीकर



क्रमांक : 826-832

/राजस्व/06

दिनांक 04.11.2006

संपरिवर्तन - आदेश

प्रिंस पब्लिक स्कूल संस्था, पालवास रोड, ग्राम नानी (सीकर) जरिये श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति जाट तह0 सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र व पेरा-फेरी वेल्ड कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 8(2)(8)(3) व राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के पारपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2000 के अधीन अकृषि प्रयोजनो के लिये इसके द्वारा संस्थानिक संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता | प्रिंस पब्लिक स्कूल संस्था, पालवास रोड, ग्राम नानी (सीकर) जरिये श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति जाट सीकर |
| 2 | क्या आवेदक अनु0 जाति या अनु0 जनजाति का सदस्य है: | नहीं |
| 3 | संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा: | |
| | (क)ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम | नानी, ग्राम पंचायत नानी, तह0 सीकर |
| | (ख)भूमि का खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टर में) | ख0 नं0 1391/965 रकबा 0.56 हेक्टर |
| | (ग) प्रत्येक खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमी0 में) टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये सं0 नक्शों में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है। | ख0 नं0 1391/965 रकबा 0.56 हेक्टर अर्थात 5600 वर्ग मीटर नक्शा की सत्यापित प्रति संलग्न है। |

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 4 | संपरिवर्तन का प्रयोजन | संस्थानिक रूपान्तरण, शिक्षण कार्य हेतु |
| 5 | सहाय प्रीमियम की दर | 10.00 रु प्रति वर्गगज 5000 वर्गगज तक व शेष 1699 वर्गगज का आधी 05.00 रु प्रति वर्गगज से |

उप खण्ड प्राधिकारी, सीकर